

राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.7(वि.जाँ.) / 2025-26 /

दिनांक :-

कार्यालय आदेश

स्कूल शिक्षा विभाग में खेल सामग्री की खरीद वर्ष 2024-25 में हुई अनियमितताओं की विशेष जांच हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक 10133 दिनांक 06.05.2025 द्वारा विशेष जांच दल का गठन किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री भगवान सहाय मीणा, लेखाधिकारी को विशेष जांच दल का प्रभारी एवं श्री गिरधारी लाल सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I को जांच दल का सदस्य लगाया जाता है। पूर्व में नियुक्त जांच दल प्रभारी श्री सज्जन सिंह राजावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I विशेष जांच दल के सदस्य के रूप में कार्य करते रहेंगे।

—slid—
(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांक: एफ.7(वि.जाँ.) / 2025-26 / 10159-10176 दिनांक :- 7-5-25
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि विशेष जांच दल को जांच कार्य हेतु वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान कराने का श्रम करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
9. संबंधित जांच दल प्रभारी/सदस्य श्री भगवान सहाय मीणा, लेखाधिकारी, प्रभारी/श्री सज्जन सिंह राजावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, सदस्य/श्री गिरधारी लाल सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I, सदस्य को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार विशेष जांच कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
10. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई-मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
11. रक्षित पत्रावली।


(रामेश्वर परसोया)
अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)